न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामा जिला भरतपुर

व इजलाश श्री विनोद कुमार मीणा आर0ए0एस उपखण्ड अधिकारी कामां

मुकदमा नं0 51/18

1–हरबन्शलाल पुत्र चुन्नीलाल जाति खत्री निवासी कामां हाल आबाद बी/5–1 न्यू राजा मण्डी आगरा जिला आगरा (उत्तर प्रदेश)

2–रमेश चन्द पुत्र चुन्नीलाल जाति खत्री निवासी वार्ड नंम्बर 13 कल्याण मौहल्ला कस्बा कामां

3–ओमप्रकाश पुत्र चुन्नीलाल जाति खत्री निवासी कुटी मौहल्ला कामां

4–बाबूलाल उर्फ तारावाबू पुत्र हीरालाल जाति माली निवासी राधा माधव मन्दिर के पास दिल्ली दरवाजा कस्बा कामां तहसील कामां

बनाम

सायलान

1–सोनारानी वेवा चाननवास जाति खत्री निवासी कुटटी मौहल्ला कामां

2–संजीव कुमार उर्फ बन्टी पुत्र चाननदास निवासी कुटटी मौहल्ला कामां

3–अशोक कुमार पुत्र दरवारी लाल निवासी मण्डी बाजार कामां

4–किशन पुत्र हीरालाल जाति माली निवासी पुरोहित मौहल्ला कस्बा कामां

5–भोंदू पुत्र हीरालाल जाति माली निवासी आगर मौहल्ला वार्ड नं0 13 कस्बा कामां

गैरसायलान

उपस्थित अधिवक्ता

1–श्री फूलचन्द गुप्ता प्रार्थीगण

2–श्री त्रिलोकचन्द अप्रार्थीगण

3–श्री अमित कुमार अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट

निर्णय

दिनांक: 25.02.2021

प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 4050/0.27, 4056/0.13, 4060/0.02, 4061/0.19, 4068/0.36, वाके ग्राम कस्बा कामां नं 02 सयुक्त की खातेदारी आराजी है । जिसमें खसरा नम्बर 4060 में कुआ बना हुआ है जिससे अन्य खसरा नम्बरान के सभी सहकाश्तकारान पानी लेते है व खेतों की सिचाई आदि के काम में लेते हैं सभी नम्बरान आराजी मुतदाविया में सायल नम्बर 1 व 2 व 3 का 1/2 हिस्सा सायल नं0 4 का 1/16 हिस्सा तथा गैरसायल नं0 1 व 2 का 1/8 हिस्सा गैर सायल नं0 3 का 1/8 हिस्सा एवं गैर सायल नं0 4 व 5 व प्रतिवादी नं0 6 प्रेम पुत्री हीरालाल का 3/16 हिस्सा है , परन्तु आपसी मनवट से सहकाश्तकारों ने खसरा नम्बर 4060 को छोडकर शेष नम्बरान को विभाजित कर रखा है और खसरा नम्बर 4050 /0.27 सालिग एवं खसरा नम्बर 4068 में से 18 एयर रकवे को सायल नम्बर 1 व 2 व 3 तथा खसरा नम्बर 4061 /0.19 एयर सालिग एवं खसरा नम्बर 4068 में से 9 एयर रकवे को गैरसायलान नम्बर 1 व 2 व 3 तथा खसरा नम्बर 4056/0.13 एयर सालिग एवं खसरा नम्बर 4068 में से 9 एयर आराजी को सायल नं0 4 व गैरसायलान नं0 4, 5 व प्रेम पुत्री हीरालाल काश्त कर रहे है। और खसरा नम्बर 4060 में बने कुआ को सभी सहकाश्तकार काम में ले रहे हैं । सायलान ने दिनांक 105.2018 को गैर सायल नं0 1लगा0 5 व प्रेम पुत्री हीरालाल से खसरा नम्बर 4060 जो कुआ का नम्बर है को छोडकर शेष खसरा नम्बरान को मीटिस एण्ड वाउण्डस से बटवारा

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (भरतपुर) राज०

Scanned with CamScanner

करने को कहा तो उन्होंने बटवारा करने से साफ इन्कार कर दिया । इसलिए सायलान विभाजन डिक्री पाने के अधिकारी हैं । गैर सायलान नं0 1 2 3 ने अपने अपने हिस्सों को पंजाब नेशनल बैंक कामां में रहन रखा गैरसायलान नं0 1लगा 5 व प्रेम पुत्री हीरालाल ने बिना विभाजन कराये आराजी मुतदाविया को दिनांक 10.5.2018 को ही दीगर व्यक्तियों को रहनवय मुन्तकिल करने की धमकी दी है । तथा यह भी धमकी दी है कि वे आराजी मुतदाविया में बिना सहमति सायलान और बिना विभाजन कराये निर्माण कार्य करेगें। यदि गैरसायलान नं0 1 लगा0 5 अपने इरादे में कामयाब हो गये तो ऐसी अपरमित क्षति होगी । जिसकी पूर्ति जरिये नकद व अन्य किसी प्रकार से न हो सकेगी । विदि वजह सायलान गैर सायलान को हुक्म इन्तनाई चन्दरोजा से पाबन्द करा पाने के अधिकारी है । सुविधा का सन्तुलन सायलान के पक्ष में पूर्णतया प्रकट है ।

अतः गैरसायलान को ताफैसला मुकदमा पाबन्द किया जावे । आराजी मुतदाविया को बिना विभाजन कराये दीगर व्यक्तियों को रहन वय मुन्तकिल ना करें । तथा बिना सहमति सायलान कोई निर्माण कार्य ना करें । खसरा नम्बर 4060 में से कुए का पानी लेने से उसका उपयोग करने से ना रोके । तथा मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें । ऐसा कोई कार्य ना करें कि जिससे हकूक सायलान जायल हो ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । गैरसायलान जरिये नोटिस तलब कियाा गया । गैरसायलान जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये । श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र छिद्दीराम, शिखरचन्द जैन पुत्र सुमत चन्द जैन जाति वैश्य निवासी शास्त्री बिहार कालोनी कामां सुमंगलम रियलटेक प्राइवेट लिमि0 105 फस्ट फलोर मधुवर टावरवीर सावरकर ब्लाक दिल्ली जरिये अरूण कुमार पुत्र पदमचन्द जैन निवासी कामां की ओर अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 को पेश किया । पक्षकार की बहस सुनकर स्वीकार किया गया । गैर सायलान अधिवक्ता ने जबाव पेश निवेदन किया कि खसरा नम्बरान आराजी खसरा नम्बर 4050/0.27, 4056/0.13, 4060/0.02, 4061/0.19, 4068/0.36, वाके ग्राम कस्बा कामां नं 02 का बटवारा करीब 40 वर्ष पूर्व मौखिक रूप से हो चुका है । बटवारे में आयी जगीन पर सभी हिस्सेदार अपने अपने हिस्से पर काबिज है । आराजी खसरा नम्बर 4050 सायलान के हिस्सें तथा खसरा नम्बर 4061 गैरसायलान नं0 3,7, 8,व 9 के हिस्से में तथा खसरा नम्बर 4056 गैरसायलान 4 व 5 के हिस्से में है एवं खसरा नम्बर 4060 में कुआ है । जिसमें आधे हिस्से में गैरसायलान 3 7 8 9 काबिज है । तथा खसरा नम्बर 4068 सोनारानी वगैरा के हिस्से में है । सभी अपने अपने हिस्से पर मुताबिक मौखिक बटवारे के काबिज काश्त है । पुनः बटवारा कराने का कोई प्रश्न ही नहीं होता है । वादीगण किसी भी प्रकार से विभाजन की डिक्री पाने के अधिकारी नहीं है । प्राइमाफेसाई केस व सुविधा का सन्तुलन पूर्णतया हम गैर सायलान के पक्ष में प्रकट है ।

सायल अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए नकल जमाबन्दी सं0 2067–70, पेश की है ।

सायल अधिवक्ता व गैर सायलान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी । सायल अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज लिखित तथ्यों को दोहराया । तथा गैर सायलान ने भी अपने जबाव में लिखित तथ्यों को दोहराया । सायल अधिवक्ताा प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए नजीर आर.आर.टी. 2003(1)बनाम 212–पैरा 6, 7 पेज 516, आर.आर.टी. 2009(2) 212– पेज 1053–बनाम 212 आर.टीए, आर.आर.डी.जून 2007पेज 405 पैरा 8से 11 आर.आर. डी.नवम्बर 2000पेज 524 पैरा 5से 08 बनाम 212–आर.टी.ए. आर.आर.डी.जुलाई 2000 पेज 276बनाम 212 आटी.ए. पैरा 3से 06 आर.आर.डी. 2000पेज 19 बनाम 53,88, 212 पैरा 4से 09 आर.आर.टी. 2005 पेज 306 बनाम 212 आर.टी.ए0 पैरा 7, 8, आर.आर.डी. 1986पेज 749 पैरा 4 बनाम 212 188, 53 आर0टी0ए0 गैर सायल ने अपनी जबाव को सबित करने के लिए किरन वगैरा बनाम अजय कुमार बगैरा आर0आर0टी0 2013 (2)पेज 1108, नूरमौहम्मद बनाम

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (भरतपुर) राज०

Scanned with CamScanner

मुहर खान बगैरा आर0आर0टी0 2018 (2)पेज 1202, गलीयत कौर बगैरा बनाम गलीया कौर बगैरा , आर0आर0टी0 2016–17 पेज 637, धीरज बनाम जगदीश बगैरा आर0आर0टी0 2017 (2)पेज 1358, घन्सीलाल बनाम रामभरोसी आर0आर0टी0 2018 (1)पेज 405

हमने प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र , अप्रार्थी के जबाव व प्रार्थीगण द्वारा पेश दस्तावेज साक्ष्य का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा की गयी बहस में मनन कर अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों आधारों का विवेचन किया जो इस प्रकार से है :–

1–प्रथम दृष्टया :–विवादित आराजी खसरा नम्बर 4050/0.27, 4056/0.13, 4060/0.02, 4061/0.19, 4068/0.36, वाके ग्राम कस्बा कामां नं 02 के वादीगण व प्रतिवादीगण रिकोर्ड खातेदार हैं एवं वादीगण द्वारा प्रार्थना अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0 विभाजन के दावे के साथ पेश किया है । चूकि प्रतिवादीगण विवादित आराजी के रिकार्ड खातेदार हैं एवं यदि प्रतिवादीगण को रहन व अथवा बेचान नहीं करने के लिए पाबन्द किया जाता है तो प्रतिवादीगण को खातेदारी अधिकारों से प्राप्त लाभों से वंचित होना पडेगा । सहकाश्तकार के मध्य विभाजन में रहन वय से कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी साथ ही विवादित आराजी के मौके की स्थिति अथवा निर्माण यदि किसी भी पक्षकार द्वारा किया जाता है तो विवादित आराजी के विभाजन में अनावश्यक पेचीदगी बढेगी । (वादी)प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए प्रस्तुत नजीर प्रकरण पर लागू नही होती है । अप्रार्थी की नजीर प्रकरण पर लागू होती है । अतः उपरोक्त विवेचन के मध्यनजर प्रकरण विवादित आराजी के मौके की यथास्थिति बनाये रखने व निर्माण नहीं करने तक प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में है ।

2–सुविधा का सन्तुलन –चूंकि प्रकरण आंशिक रूप से प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में है । अतः सुविधा का सन्तुलन भी आंशिक रूप विवादित आराजी के मौके की यथास्थित बनाये रखने व निर्माण नहीं करने तक प्रार्थीगण के पक्ष में है ।

3–अपूर्णनीय क्षति :–यदि विवादित भूमि पर मौके की स्थिति में बदलाव अथवा निर्माण होता है तो प्रार्थी को विवादित भूमि के विभाजन कराने में अनावश्यक परेशानी होगी । जो कि प्रार्थी के लिए अपूणनीय क्षति होगी । लेकिन यदि विवादित आराजी पर रिकार्ड व रहन वय पर अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है तो अप्रार्थीगण जो विवादित भूमि के सहखातेदार हैं , अपने खातेदारी अधिकारों से प्राप्त लाभों से वंचित होना पडेगा । जो अप्रार्थीगण के लिए अपूणनीय क्षति होगी ।

अतः आदेश है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 4050/0.27, 4056/0.13, 4060/0.02, 4061/0.19, 4068/0.36, वाके ग्राम कस्बा कामां नं 02 के मौके की यथास्थिति बनाये रखने, निर्माण नहीं करने के लिए उभयपक्ष को दावे के निस्तारण तक पाबन्द किया जाता है । प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील तामील दाखिल दफतर हो ।

(विनोद कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
कामां (भरतपुर)राज०

Scanned with CamScanner